न्यायालय श्री प्रवीर कुमार , माननीय अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ
वाद संख्या:- REV/2029/2014/मुरादाबाद
खलील अहमद बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 219, अधिनियम :- उ०प्र० भू-राजस्व अधिनियम,1901
आदेश तिथि:- 25/04/2017

बहस की तिथि 16.03.2017

वादी के अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र उपाध्याय

प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री एस0डी0 भारती शासकीय अधिवक्ता(राजस्व)

आदेश

यह निगरानी धारा-219 उ0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम 1901 के तहत उपजिलाधिकारी बिलारी, मुरादाबाद द्वारा वाद सं0-टी 20141354021021 में पारित आदेश दिनाँक 08.07.2014 के विरूद्ध योजित की गयी है।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया।

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खलील अहमद पुत्र रशीद अहमद ने उपजिलाधिकारी बिलारी के न्यायालय में धारा-33/39 भू-राजस्व अधिनियम 1901 के तहत वाद इस आशय से योजित किया कि ग्राम तिसावा परगना व तहसील बिलारी के वर्तमान खतौनी 1418-1423फ0 के खाता सं0-105 गाटा सं0-24 रकबा 1.530हे0 तालाब के रूप में दर्ज है। उक्त गाटा सं0-24 चकबंदी सन् 1985 में गाटा सं0 21 रकबा 3.80हे0 से बना है व चकबंदी से पूर्व उक्त गाटा सं0-सी0 एच0 41 व 21 में तालाब के रूप में दर्ज है। उक्त गाटा में मुहर्रम के ताजिये दफनाये जाते रहे है तथा करबला के रूप में इस्तेमाल होता रहा है तथा दिनाँक 12.02.1981 से सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ में उक्त गाटा करबला के नाम दर्ज है। परन्तु दौरान चकबंदी खतौनी में करबला दर्ज होने से भूलवश छुट गया है। यह भूमि करबला की सम्पत्ति है, ग्राम समाज की सम्पत्ति नहीं है तथा इस भूमि पर करबला कमेटी का कब्जा चला आ रहा है। अतः गाटा सं0-24 रकबा 1.530हे0 मूल खाता नम्बर 2, में तालाब के स्थान पर करबला का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने हेतु कागजात दुरुस्ती का आदेश पारित किया जाय।

वाद दर्ज रजिस्टर कर उपजिलाधिकारी ने तहसीलदार बिलारी से जांच आख्या प्राप्त किया। तहसीलदार ने अपनी जांच आख्या दिनाँक 16.12.2013 प्रस्तुत किया, जिसमें उल्लेख किया कि गाटा सं0-24 राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 6-1 तालाब के रुप में दर्ज है, जो चकबंदी पूर्व गाटा सं0-21 रकबा 3.80हे0 से बना है, जो अभिलेखों में तालाब के रुप में दर्ज था। प्रार्थी सी0एच0 45 में संशोधन कराकर गाटा सं0-24, जो तालाब के रुप में दर्ज है, को करबला के रुप में दर्ज कराना चाहता है जो धारा 33/39 की प्रक्रिया द्वारा सम्भव नहीं है।

उपजिलाधिकारी ने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं परीक्षणोपरान्त तहसीलदार की जांच

आख्या दिनाँक 16.12.2013 स्वीकार करते हुए कागजात दुरूस्ती का प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दिया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विवादित भूमि वक्फ सम्पत्ति खसरा सं0-24 कब्रिस्तान के रूप में पंजीकृत है। प्रथम चकबंदी में यह भू-खण्ड वक्फ सम्पत्ति दर्ज थी जिसमें ताजिये दफनाये जाते थे। चकबंदी केवल कृषि भूमि की होती है। करबला वक्फ सम्पत्ति है इसकी चकबंदी नहीं हो सकती है, परन्तु राजस्व कर्मियों ने भूलवश उक्त सम्पत्ति को गांवसभा के नाम दर्ज कर दिया, जिसकी जानकारी होने पर उन्होंने उपजिलाधिकारी के न्यायालय में कागजात दुरुस्ती का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया तथा यह कथन रखा कि विवादित भूमि करबला की सम्पत्ति है, ग्राम समाज की सम्पत्ति नहीं है। अतः ग्राम समाज का नाम निरस्त कर करबला का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का आदेश पारित किया जाय, जिस पर उपजिलाधिकारी बिलारी ने तहसीलदार बिलारी से जांच आख्या प्राप्त किया।

उपजिलाधिकारी ने उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त तहसीलदार की आख्या दिनाँक 16.12.2013 को स्वीकार करते हुए कागजात दुरुस्ती का प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दिया, जो विधि के विरूद्ध आदेश है। अतः निगरानी स्वीकार की जाय तथा उपजिलाधिकारी द्वारा पारित अवक्षेपित आदेश निरस्त किया जाय।

शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) का कथन है कि विवादित भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 6-1 तालाब के रुप में दर्ज है तथा चकबंदी से पूर्व भी राजस्व अभिलेखों में तालाब के खाते में दर्ज थी। तालाब के खाते में दर्ज प्रविष्टि को न तो संशोधित किया जा सकता है और न ही उसके नवैयत में परिर्वतन किया जा सकता है। उपजिलाधिकारी ने उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त कागजात दुरुस्ती का प्रार्थना-पत्र निरस्त किया है, जो विधि सम्मत आदेश है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, निगरानी निरस्त की जाय।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया। उपजिलाधिकारी बिलारी द्वारा पारित आदेश दिनाँक 08.07.2014 मे की गयी विवेचना से यह बात स्पष्ट रुप से सिद्ध हो जाती है कि विवादित भूमि गाटा सं0-24 वर्तमान राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 6-1 तालाब के रुप में दर्ज है, जो चकबंदी पूर्व गाटा सं0-21 रकबा 3.80हे0 से बना है। तत्समय भी उक्त गाटा राजस्व अभिलेखों में तालाब के रुप में दर्ज था। तालाब के रुप दर्ज प्रविष्टि को न तो संशोधित किया जा सकता है और न ही उसके नवैयत में परिवर्तन किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि गांव में स्थित तालाब ग्रामसभा की एक सामुदायिक सम्पत्ति (Community asset) होती है जिस पर उस गांव के समस्त व्यक्तियों का समान अधिकार होता है तथा प्रायः इस प्रकार के तालाबों के किनारे/तालाबों में, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। परन्तु इन कार्यक्रमों के आयोजन मात्र से यह सामुदायिक सम्पत्ति किसी धर्म अथवा समुदाय विशेष की सम्पत्ति घोषित नहीं की जा सकती और न ही इसकी नवैयत परिवर्तित की जा सकती है।

यदि किसी संस्था द्वारा किन्ही प्रचलित परम्पराओं/आयोजनों आदि के आधार पर अपने स्तर पर रक्षित अभिलेखों में स्वतः कोई प्रविष्टि कर ली जाती है, तो उसे किसी प्रकार की विधिक मान्यता नहीं दी जा सकती तथा उसके आधार पर राजस्व अभिलेखों में भी तदुनसार प्रविष्टि किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं है।

अतः उपजिलाधिकारी ने परीक्षणोपरान्त कागजात दुरुस्ती का प्रार्थना-पत्र निरस्त कर विधि सम्मत आदेश पारित किया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है।

यदि इस न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित किया गया है, तो उसे समाप्त किया जाता है।

अवर न्यायालय का अभिलेख यथाशीघ्र वापस भेज दिया जाय।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(प्रवीर कुमार)

अध्यक्ष

25.04.2017